(c) if so, the details thereof; and

(d) by when Government propose to bring the entire agricultural land in Bihar under irrigation?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Irrigation potential created and utilised through major and medium irrigation projects in the State of. Bihar at the end of 1995-96 are expected to be of the order of 2876.00 thousand hectares and 2438.00 thousand hectares respectively.

(b) and (c) As per Land Use Statistics brought out by Ministry of Agriculture upto 1992-93 (latest), the net irrigated area is 3344 thousand hectares out of 11084 thousand hectares of total cultivable land in the State of Bihar.

(d) The time by which the entire agricultural land may be brought under irrigation would depend upon the priority assigned to irrigation sector in five year and annual plans and funds allotted to the same by the Government of Bihar.

Inter-state Boundry Dispute

1271. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the answer to U.Q. 1705 given in the Rajya Sabha on 31st July, 1996 and state:

(a) whether there is any dispute between Orissa and Madhya Pradesh and also between Orissa and Andhra Pradesh; and

(b) if so, the steps taken to settle the disputes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) No reference has been received by the Union Government from these States for resolution of their disputes, if any.

It is essentially for the State Governments themselves to sort out the disputes either bilaterally or through various forums.

गढ़वाल राइफल्स के जवानों को पेंशन

1272. श्रीमती भानमती शर्मा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गढ़वाल राइफल्स के ऐसे जवानों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्ति प्राप्त की और इस संबंध में उनका नाम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उन सभी जवानों को उनकी पेंशन और अन्य देय राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सभी जवानों को पेंशन और अन्य देय राशियों के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं;

(घ) उक्त राशि का कब तक भुगतान किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन॰ वी॰ एन॰ सोमू): (क) से (ङ) सेना मुख्यालय ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान गढ़वाल राइफल्स के अफसर रैंक से नीचे के कुल कार्मिक डाक्टरी आधार पर सेवा मुक्त किए गए हैं। उनमें से 421 कार्मिकों के पेंशन संबंधी दावे निपटाए जा चुके हैं। शेष कार्मिकों के पेंशन संबंधी दावों के बारे में कार्यवाई चल रही है। ये मामले चालू अवधि से संबंधित हैं और इनको अंतिम रूप दिए जाने में कोई असामान्य विलम्ब नहीं हुआ है। इन मामलों को शीघ्र ही निपटाए जाने की सम्भावना है। इन 523 कार्मिकों के नाम प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित समय और प्रयास को देखते हुए ऐसा वांछनीय नहीं समझा गया है।